

# कार्यालयः— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या – ०१/यो०ब० (१०) २०१४ – २६  
रांची–२, दिनांक—०६/६/१९

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं०सं०–४ / यो० बजट–४२/२०१०–२३७१ व०प०, दिनांक ०५.०५.२०१५ द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक १५.०४.२०१९ को आयोजित की गई।

समिति द्वारा निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष २०१९–२० के लिए सिल्विकल्वरल ऑपरेशन हेतु कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, का अनुमोदन प्राप्त है। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष २०१९–२० के लिए लागू होंगे एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

योजना का नाम : सिल्विकल्वरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) : **Rs. 237.38** कार्य दर प्रति हेतु

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	
<b>(A) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)</b>							
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेतु	३	७१२.१४	०.००	७१२.१४	
2	कटबेक / कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि along with debris removal आदि (all live stumps should be dressed)	हेतु	३०	७१२१.४०	०.००	७१२१.४०	इन कार्यों को करने के क्रम में कदाचिं किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को करने से पूर्व एवं कार्य संपादित करने के पश्चात् संपूर्ण स्थल की विडीयोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जाय।
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार रखीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रैंच घेरान अथवा पत्थर घेरान किया जायेगा (i) ट्रैंच घेरान— ऊपर की चौड़ाई १.८३ मी०, नीचे की चौड़ाई १.२२ मी०, गहराई १.२२ मी०, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान— ऊपर की चौड़ाई ०.३० मी०, नीचे की चौड़ाई १.२५ मी०, ऊँचाई १.०० मी० (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हेतु औसतन ६ घेरान	१२	२८४८.५६	११७८२.७४	१४६३१.३०	प्रति हेतु ट्रैंच घेरान ६ घेरान का प्रावधान है। किन्तु वास्तविक स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य, संपादन के अनुसार किया जायेगा उपर्युक्त ट्रैंच बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों का वृक्षारोपण किया जायेगा ताकि Live Hedge/Fence तैयार हो सके।

4	मृदा कार्य (0.45 मी. X 0.45 मी. X 0.45 मी.) 0.091 क्यू० मी० अधिकतम 200 पीट प्रति हेठो (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेठो	20	4747.60	0.00	4747.60	औसतन 200 पौधे प्रति हेठो रोपण के लिए। वन्य जीव क्षेत्रों में, पूर्णतः वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के अनुकूल प्रजाति के।
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य – कंटूर ट्रैच – 50, कंटूर साईज 5 मी. X 0.45 मी. X 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर ढलान के कोण के अनुसार हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		40	9495.20	500.00	9995.20	आवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रैच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रैच के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जायेगा।
6	गली प्लगिंग	हेठो	6	1424.28	0.00	1424.28	नोट देखें।
7	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि		15	3560.70	0.00	3560.70	नोट देखें।
8	स्थाई उपलब्ध पौधशालाओं में उपलब्ध (10 प्रतिशत अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"X12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।		2	474.76	960.40	1435.16	स्थाई पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/Root Shoot के क्रय के लिए ₹0 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी।
9	वनों की सुरक्षा		2	474.76	0.00	474.76	
कुल योग—			130.00	30859.40	13243.14	44102.54	

(B) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)

1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	474.76	640.00	1114.76	स्थाई पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/Root Shoot के क्रय के लिए ₹0 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी।
2	वृक्षारोपण		4.40	1044.47	0.00	1044.47	
3	दो कोड़नी निकौनी		5	1186.90	0.00	1186.90	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)		0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य	हेठो	4	949.52	0.00	949.52	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हेठो तक के लिए पशु रक्षक)	हेठो	7.30	1732.87	0.00	1732.87	ट्रैच घेरान की मरम्मत।
कुल योग—			22.70	5388.53	1140.00	6528.53	

(C)	संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	सुरक्षा एवं संपोषण	हें०	7.30	1732.87	0.00	1732.87
	योग -		7.30	1732.87	0.00	1732.87
(D)	संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	सुरक्षा एवं संपोषण	हें०	7.30	1732.87	0.00	1732.87
	योग -		7.30	1732.87	0.00	1732.87
	सकल योग -		167.30	39713.67	14383.14	54096.81

### नोट :-

- प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किये जायेंगे।
- इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।


समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। यह अनुमोदित कार्यदर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लागू होंगी एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।

हें० /—  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- ५१                    दिनांक- ०६/६/१९

### प्रतिलिपि :-

- अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
- सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक
- सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
- सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक
- सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
- इन्हिस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।